खण्ड 'बी' राजभाषा

1. **राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र में स्थित राज्यों के नाम लिखें तथा इन क्षेत्रों के बीच अंतरक्षेत्रीय पत्राचार के क्या–क्या नियम है?**

उत्तर :– राजभाषा नीति को लागू करने की दृष्टि से भारत के राज्यों तथा संघ राज्यों को तीन भागों में बाँटा गया है, जो क्रमशः क,ख, तथा ग क्षेत्र है। जो कि निम्न प्रकार है।

क्षेत्र क – बिहार, झारखड, हरियाणा, हिमांचलप्रदेश ,मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ, राजस्थान उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल,दिल्ली,एवं डमाननिकोबारद्वीप,संघ अभिप्रेत है।

क्षेत्र ख – गुजरात महाराष्ट्र,और पंजाब, राज्य तथा चंडीगढ, संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है

क्षेत्र ग – खंड 'क' और 'ख' में निर्दिष्ट राज्यों और संध राज्य क्षेत्रों के अलावा शेष सभी राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश अभिप्रेत है । **(तमिलनाडु राज्य को छोड़कर)**

राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्य्रालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादिः–

1– केन्द्रीय सरकार के कार्य्रालय से क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो)या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोडकर हिन्दी में होंगे और उनमें से किसी को कोई पत्रादि अग्रेंजी में भेजे जाते है तो
डनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।

2–केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय ,वो केन्द्रीय कार्यालय न हो , या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिन्दी में भेजे जाते है तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।क्षेत्र ख के किसी राज्य या संघ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते है ।

3–केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से ग क्षेत्र में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय ,जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो
या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगं ।

4–उपनियम 1 और 2 में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र ग में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क या ख में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो , व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते है ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के बीच पत्रादिः–

क–केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्राालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्राालय या विभाग के बीच पत्रादि हिनदी या अंग्रेजी में हो सकते है ।

ख–केंन्द्रीय सरकार के एक मंत्राालय या विभाग और क्षेत्र क में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगें ।

ग– क्षेत्र क में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के ऐसे कार्यालयों के बीच पत्र खंड ख में विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न है ,पत्रादि हिन्दी में होंगं ।

घ– क्षेत्र क में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयो और क्षेत्र ख या क्षेत्र ग में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अेंग्रजी में हो सकते है ।

ड– क्षेत्र ख या क्षेत्र ग में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयो के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते है।

क्षेत्र क या ख के किसी कार्यालय को पत्र संबोधित है वहां यदि आवश्यक हो तो उसका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्र प्राप्त करने के पर किया जाएगा

और क्षेत्र ग में किसी कार्यालय को संबोधित है तो वहां उसका दूसरी भाषा में अनुवाद उसके साथ भेजा जाएगा ।

2. राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में क्या अंतर है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) से आप क्या समझते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत कौन–कौन से दस्तावेज आते हैं?

उत्तर :– राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर :– राजभाषा वह भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार कर ले। यह किसी राज्य में एक से अधिक भी हो सकती है।

किसी राष्ट्र में प्रयोग होने वाली वे भाषायें जो उस राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा बोली जाती हो उन सभी भाषाओं को राष्ट्रभाषा कहते हैं। संविधान की अष्टम सूची में शामिल सभी 18 भारतीय भाषायें राष्ट्र भाषाएं कहलाती है, ये भाषायें विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग मे लायी जाती है।

राजभाषा अधिनियम 1963 धारा (3) के अनुसार राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना ।

(1) संविधान के प्रारंभ में पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियम दिन से हीरू–

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, जिनके लिये वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लायी जाती थी तथा

(ख) संसद के कार्य संव्यवहार के लिए प्रयोग में लायी जाती रहेगी।

धारा(3) के अंतर्गत निम्नलिखित कागजात अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जायेंगे।:–

संकल्प,साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्राशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस–विज्ञप्ति, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गये प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र, संविदायें, करार, टेंडर, नोटिस टेंडर फार्म, लाइसेंस, परमिट, सूचनायें आदि।

नियमानुसार उक्त कागजात हिन्दी या अंग्रेजी द्विभाषी में जारी किए जाने चाहिए। इन कागजातों के द्विभाषी में जारी करने की जिम्मेदारी हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी की होगी।

3. **सरकारी कामकाज में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन–कौन सी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं हैं। संक्षिप्त में वर्णन करें। राजभाषा के व्यापक प्रचार व प्रसार करनें के लिए क्या –2 प्रोत्साहन योजनाएं है।वर्णन करें।**

उत्तर :–

राजभाषा प्रोत्साहन पुरस्कार

क्रम सं0	**विवरण**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कारों की राशि**
1.	लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार(तकनीकी रेल विशयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन केलिए)	प्रथम द्वितीय तृतीय	15000/– 7000/– 3300/–
2	इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना (हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए/पुस्तक की विशय वस्तु केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबधित हो)	प्रथम द्वितीय तृतीय प्रोत्साहन पुर0	40000/– 30000/– 20000/– 10000/–
3	मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार(काव्य संग्रह के लिए)	एक	15000/–
4	प्रेमचन्द पुरस्कार (कहानी संग्रह के लिए)	एक	15000/–
5	रेल मंत्री राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार(उत्तर मध्य रेलवे केलिए)	चार	1000/–
6	रेल मंत्री हिन्दी निबंध प्रतियोगिता राजपत्रित वर्ग प्रथम रू0–6000/– द्वितीयरू0–4000/–	अराजपत्रितवर्ग प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुर0	–––––––––– 6000/– 4000/–
7	हिन्दी टिप्पण एंव प्रारूप लेखन निबंध तथा वाक प्रतियोगिता क्षेत्रीय स्तर पर प्रथमरू0–1200/– द्वितीय/–1000/– तृतीय/–900/– सांत्वना(3)रू0 250/–प्रत्येक	अखिल रेल स्तर पर प्रथम रू0–– द्वितीय रू0–– तृतीय रू0–– सांत्वना रू0–	 3000/– 2500/– 2000/– 1500/–
8	रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार(इस योजना में सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते है। वृतांत	प्रथम द्वितीय	4000/– 3000/–

	कम से कम 3000 शब्दों का हो)	तृतीय	2000/–
9	हिन्दी डिक्टेशन पुरस्कार योजना(हिन्दी भाशी अधिकारीयों द्वारा वर्श भर में कमसेकम 20000 षब्दों का डिक्टेशन देने पर तथा अहिन्दी भाषी अधिकारीयों द्वारा वर्ष भर में कम से कम 10000 शब्दों का हिन्दी डिक्टेशन देने पर)	हिन्दी भाषी अधिकारी अहिंदी भाषी अधिकारी	1000/– 1000/–
10	सरकारी काम–काज (टिप्पण/प्रारूप लेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए पुरस्कार योजना (क तथा ख क्षेत्र में वर्श भर में कम से कम 20000 शब्द तथा ग क्षेत्र में कम से कम 10000 षब्द मूल रूप से टिप्पण और प्रारूप आदि के रूप में लिखने पर)	प्रथम–2 द्वितीय–3 तृतीय–3	800/–प्रत्येक 400/–प्रत्येक 300/–प्रत्येक
11	टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को प्रोत्साहन भत्ता (इस योजना में ऐसे अंग्रेजी के टाइपिस्ट/आशुलिपिक भाग लेने के पात्र हैं जो अपने अंग्रेजी काम के अलावा 5 पत्र / टिप्पणियां प्रतिदिन अथवा 300 पत्र/प्रारूप/टिप्पणियां प्रति तिमाही हिंदी में टाइप करते हैं)	आशुलिपिक टाइपिस्ट	120/–प्रतिमाह 80/–प्रतिमाह
12	अंशकालिक हिंदी पुस्तकाध्यक्ष को मानदेय		500/–प्रतिमाह
13	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव का कार्यभार देखने पर मानदेय		300/–प्रतिमाह
14	मुख्य राजभाषा अधिकारी को विशेष वेतन		600/–प्रतिमाह
15	मंडलों के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी को विशेष वेतन		300/–प्रतिमाह
16	कारखानों के उपमुख्य राजभाषा अधिकारी को विशेष वेतन		200/–प्रतिमाह

4. हिंदी (राजभाषा) दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? राजभाषा किसे कहते हैं तथा अष्टम अनुसूची के अंतर्गत कौन–कौन सी भाषाएँ सम्मिलित हैं?

.उत्तर– स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश में ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो भावनात्मक एकता स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो तथा अंतर्राज्य और केन्द्रीय सरकार के काम काज के लियें अंग्रेजी का स्थान ले सके।इस दृष्टि से हिन्दी भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त समझकर इसे भारतीय संविधान में ''राजभाषा ''के पद पर सुशोभित किया गया। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हिन्दी के अलावा कोई भारतीय भाषा इसका स्थान नहीं ले सकती ।

श्रीगोपाल स्वामी अयंगर द्वारा संविधान सभा में ''हिन्दी'' को ''राजभाषा'' बनाने संबंधित प्रस्ताव रखा गया। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में प्रबल बहूमत से हिन्दी को केन्द्र सरकार की ''राजभाषा'' के रुप में मान्यता प्रदान की ।यही प्रस्ताव हमारे संविधान के भाग संग्रह में ''राजभाषा ''शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान है। इसलिये संपूर्ण भारतावर्ष में ''14 सितम्बर'' को हिन्दी दिवस के रुप में मनाया जाता है।

सरकारी कामकाज में राजभाषा के रुप में हिन्दी के प्रति जागरुकता तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने तथा हिन्दी भाषा के प्रति अभिरुची उत्पन्न करने के उद्देश्य से हिन्दी सप्ताह मनाया जाता है।जिसमें राजभाषा प्रदर्शनी ,विचार गोष्ठी ,काव्य गोष्ठी तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

राजभाषा :–

प्रशासन का कामकाज चलाने और क्षेत्र की जनता से सरकार का सीधा संप्रेषण बनाये रखने कें लिये जिस भाषा को प्रयोग में लाया जाता उसे ''राजभाषा'' कहते है ।भारतवर्ष के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारो के फलस्वरुप केन्द्र सरकार की राजभाषा ''हिन्दी'' है। भारतवर्ष के संन्दर्भ में अधिकांश राज्यो में बोली व समझी जाने वाली भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी गई है और यह भी व्यवस्था की गई हैकि राज्यों की विधान सभाएं अपने राज्य की एक या अधिक क्षेत्रिय भाषाओं को अथवा हिन्दी को अपनी राजभाषा बना सकती है।इनका उल्लेख है और अभी तक इनकी संख्या 18 है । अष्ठम अनुसूची के अनुच्छेद 344(1) और 351के अंतर्गत सम्मिलित भाषाओं के नाम :–

1. असमिया
2. उड़िया
3. उर्दू
4. कन्नड़
5. काश्मीरी
6. गुजराती
7. तमिल
8. तेलुगू
9. पंजाबी
10. बंगाली
11. मराठी
12. मलयालम
13. संस्कृत
14. सिन्धी
15. हिन्दी
16. कोंकणी
17. नेपाली
18. मणीपुरी

5. राजभाषा के प्रयोग प्रसार के संबंध में भारत के संविधान में क्या उपबंध है? संक्षिप्त में लिखें।

उत्तर :– संघ की राजभाषा नीति

राजभाषा के प्रयोग प्रसार के संबंध में भारत के संविधान में अलग–अलग उपबंध है :–

अनुच्छेद 343(1) में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंको का रूप भारतीय अंको का अंतर्राष्ट्रीय होगा ।

अनुच्छेद 343(2) में यह व्यवस्था है कि संविधान लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक उन शासकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिये संविधान लागू होने से पहले किया जा रहा था ।

परन्तु राष्ट्रपति इस अवधि में भी अर्थात 1965 से पहले भी आदेश निकाल कर किसी काम के लिये अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे ।(राष्ट्रपति का के आदेश 1952, 1955 एवं 1960 में जारी किये)

अनुच्छेद 344 (1) में यह व्यवस्था है कि संविधान के प्ररंभ सें 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्ररंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो अन्य बातो के साथ–साथ संघ के शासकीय प्रायोजनों के लिए हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग तथा सभी या किन्हीं शासकीय प्रायोजनों के लिए के लिये अंग्रेजी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सिफारिश करेगा। (आयोग की स्थापना 1955 में हुई और रिपोर्ट 1956 में प्राप्त हुई । इस पर 1956 में संसदीय समिति गठित की गई)।

अनुच्छेद 344 (4) में यह व्यवस्था है कि संसदीय समिति गठित किया जाएगा जिसमें जिसमें लोकसभा के 20 और 10 सदस्य होगें। यह समिति संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी । (1956 में संसदीय समिति गठित हुई और अब तक चल रही है)।

अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधान मंडल राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या को या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को अपने सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा।

अनुच्छेद 348 (1) में यह व्यवस्था है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी किन्तु इस अनुच्छेद के खन्ड (2) में यह व्यवस्था है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने राज्य मे स्थित उच्चतम न्यायालय मे हिन्दी भाषा प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेंद 351 में यह वयवस्था है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए , उसका विकास करें, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। गृह मंत्रालय इसके लिये प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें विभिन्न मदों में हिन्दी प्रयोग के लक्ष्य निर्धारित किए जाते है।

1968 में संसद द्वारा एक संकल्प तैयार किया गया जिसके अनुसार हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाता है और प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिर्पोट संसद के पटल पर रखी जाती है।

अनुच्छेंद 120(1) के अनुसार संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाए। परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यत्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दें सकेगा । 120(7) में राज्य के विधान मंडल मे कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा।

राष्ट्रपति का आदेश 1952 राष्ट्रपति ने अपने 27 मई ,1952 के आदेश द्वारा राज्यो के राज्यपालों ,उच्चत्तम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रोंमें अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया है।

राष्ट्रपति का आदेश 1955 राष्ट्रपति ने यह आदेश किया कि संध के निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

1. जनता के साथ पत्र– व्यवहार ।
2. प्रशासनिक रिपोर्ट , राजकीय पत्रिकाएं और संसद की दी जाने वाली रिपोर्ट ।
3. सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियम ।
4. जिन राज्य सरकारों ने अपनी राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपना लिया है उन पत्र–व्यवहार।
5. संविदा और करार।
6. अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पत्र–व्यवहार ।
7. राजनयिक और कॉउंसलिंग पदाधिकारियों और अंर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औचारिक दस्तावेज।

राष्ट्रपति का आदेश 1960,27 अप्रेल, 1960को राष्ट्रपति ने संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करके निम्नलिखित महत्वपूर्ण आदेश दिए :–

1. विज्ञान और तकनीकि शब्दावली के विकास के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना
2. अनुवाद में एकरूपता लाने के लिए एक अधिकरण की स्थापााना ।
3. विधि शब्दावली तैयार करने के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना ।
4. हिन्दी ,हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
5. हिन्दी के प्रचार के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के लिए वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता ।
6. हिन्दी भाषी क्षेत्रों के केंद्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आंतरिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करें।
7. शिक्षा संबंधी कुछ या सभी आयोजनों के लिए माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरु करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
8. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग ।
9. वैज्ञानिक ,औद्योगिक और सांख्यिकीय प्रयोजनों में अंतर्राष्ट्रीय अंको का प्रयोग ।
10. हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए योजना

राजभाषा अधिनियम

राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों पर अमल करने के दृष्टि से 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया जिसमें 1967 में संशोधन किया गया ।संशोधित राजभाषा अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है :–

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार उन सभी प्रयोजनों के लिए ,जिनके लिए 26 जनवरी ,1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा ।

केंद्रीय सरकार औरहिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्यों के साथ पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होगा , बशर्ते कि उस राज्य ने उसके लिए हिन्दी के लिए स्वीकार न किया हो।इसी प्राकार हिन्दी भाषी सरकारें भी उपर्युक्त राज्य सरकार के साथ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करेगी और यदि वे ऐसे राज्योंको पत्र हिन्दी मे भेजें तो उसके साथ अंग्रेजी अनुंवाद भी भेजा जाएगा।

केंद्रीय सरकारी कार्यालयों आदि के बीच पत्र–व्यवहार के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन जब तक संबंधित कार्यालयो के कर्मचारी हिन्दी का कार्यसााधक ज्ञान प्राप्त नही करते तब तक पत्र का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार निम्नलिखित के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनो का ही प्रयोग अनिवार्य है :–

संकल्प ,सामान्य आदेश ,नियम ,अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्ट या प्रेस विज्ञाप्तियां,संसद के किसी सदन या सदनोंके समक्ष रखी गई अन्य रिपोार्टें और अन्य सरकारी कागज–पत्र ,करार ,लाइसेंस ,परमिट,निविदी सूचना और इनके प्रारूप तथा आरक्षण चार्ट।

अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसार इस अधिनियम के अधिनियम बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि हिन्दी या अंग्रेजी दोनो भाषाओं में से किसी एक भाषा में प्रवीण कर्मचारी प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और केवल इस आधार पर कि वे दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं,उनका अहित न हो।

संशोधित अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में यह व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसे समाप्त करने के लिए हिन्दी के राजभाषा के रूप में न माननें वाले राज्यों केविधान मंडल संकल्प पास न करें और उसके बाद ऐसा कार्य करनें के लिए संसद संकल्प पास न करें।

राजभाषा नियम

केन्द्रीय सरकार ने 20 जून ,1976 को राजभाषा (संध के प्राशसकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम , 1976 अधिसूचित तथा 1987 में संसोधित किए है।इन नियमों कि महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इस प्रकार है :–

नियम 3(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्र आदि हिन्दी भाषी राज्यों के(जिन्हें क क्षेत्र के राज्य कहा गया है) या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालय या अन्य वयक्ति को हिन्दी में भेजे जाएंगे । यदि किसी खास मामलें में काई पत्र इन्हें अंग्रेजी में भेजा जाता है ,तो उसका हिन्दी अनुवाद साथ में भेजा जायेगा।

नियम 3(8) (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि पंजाब , गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों तथा चंडीगढ़ क्षेत्रों के प्रशासनों को (जिन्हें ख क्षेत्र में शामिल किया है) सामान्यतः हिन्दी में भेजे जाएंगे । यदि उन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा।

(ख) लेकिन इन राज्योंमें किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी , दोनो में से किसी भाषा में भेजे जा सकते है।

नियम 3(4) इन **(ग)** राज्यों में स्थित केंन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से क अथवा ख क्षेत्र की सरकारों ,उनके कार्यालयों आदि को पत्रादि हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

नियम 4 (क) केंन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है।

(ख) केंन्द्रीय सरकार मंत्रालय /विभाग क क्षेत्र में स्थित संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी में ऐसे अनुपात में होगा ,जिसे सरकार निर्धारित करेगी।

(ग) क क्षेत्र स्थित केंन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी में होगा।

नियम 5 हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर – केंन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएंगें।

नियम 6 राजभाषा अधिनियम ,1963 की धारा 3 (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी औार अंग्रेजी दोनो ही भाषाएं प्रयोग में लाई जाएगी और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

नियम 7(2) हिन्दी या हिन्दी में हस्ताक्षर किए आवेदन या अभ्यावेदन का उत्तर हिन्दी में दिए जाएगा।

नियम 7(3) यदि कोई कर्मचारी सेवा संबंधी विषयों से संबंधित कोई आदेश या सूचना यथास्थिति हिन्दी या अंग्रेजी में चाहता हो तो उसे उसी भाषा में दी जायेगी । केंन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नही की जाएगी किवह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

नियम 8(2) विशिष्ट दस्तावेज ,विधिक या तकनीकी प्रकृति का है अथवा नहीं, इसका निश्चय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगाा।

नियम 8(4) अधिसूचित कार्यालयों में से कुछ को पूरी तरह या उनके कार्य की कुछ मदों को विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाइड) किया जा सकता है ताकि उनमे काम करने वाले हिंदी में प्रवीण कर्माचारियों की मीटिंग ,ड्राफ्टिंग आदि में केवल हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सके।

नियम 10(4) जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्माचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त उन कार्यालयों को अधिसूचित किया जा सकता है।

नियम 11(1) केंन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सभी नियमावली ,संहिताएं औार अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिंदी और अंग्रेजी , दोनो में द्विभाषिक (डिगलॉट) रूप में तैयार किए जाएंगें।

नियम 11(9) (3)

सभी फर्मो और रजिस्टरों के शीर्ष ,नामपट्ट ,सूचनापट्ट ,स्टेशनरी आदि तथा अन्य मदें यथा रबड़ की मोहरे, धातु सीले ,पत्र शीर्ष (लैटर हैड) ,विजिटिंग कार्ड हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी होगें।

नियम 12 प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है ।